# कार्यालय–जिलाधिकारी, जनपद–बहराइच।

पत्रांक 685 / वि०-2 / 09 दिनांक 21/05/2026

## – कार्यालय आदेश –

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के शासनादेश संख्या– 7/2026/493/छिहत्तर–1–2026 (2027542) दिनांक 28 फरवरी, 2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कुशल संचालन एवं अनुरक्षण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) के गठन के निर्देश दिये गये है। उपर्युक्त शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण एवं इस हेतु तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जनपद बहराइच में जिला तकनीकी इकाई (DTU) का गठन निम्नवत् किया जाता है –

| क्र स. | पदनाम | पद |
|---|---|---|
| 1 | अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बहराइच | अध्यक्ष/संयोजन |
| 2 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3 | अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यां०),उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा | सदस्य |
| 4 | अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, बहराइच | सदस्य |
| 5 | जिला पचायतराज अधिकारी, बहराइच | सदस्य |
| 6 | सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, बहराइच | सदस्य |
| 7 | सहायक विकास अधिकारी, पचायतीराज (तकनीकी), बहराइच | सदस्य |
| 8 | जनपद स्तरीय लैब के कैमिस्ट, बहराइच<br>(द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बहराइच) | सदस्य |
| 9 | भूगर्भ जल विभाग गोण्डा के प्रतिनिधि, | सदस्य |
| 10 | जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बहराइच।<br>(अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित सदस्य) | सदस्य |

अत समिति को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश मे दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला तकनीकी इकाई (DTU) के कार्य एव दायित्व का निर्वहन करना सुनिश्चित करें, जो कि निम्नवत् है –

(1) सभी प्रकार की ग्रामीण जलापूर्ति योजनाए जैसे जल जीवन मिशन, राज्य योजनाएं, National Rural Drinking Water Programme (एन०आर०डी०डब्ल्यू०पी०) तथा अन्य ग्रामीण योजनाओं को सुजलाम भारत डेटाबेस के अन्दर लाया जाना।

(2) जिला तकनीकी इकाई द्वारा रिऐक्टिव मैन्टेनेन्स को कम करने, नियोजित पूर्वानुमान आधारित एवं मितव्ययी संचालन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से –

(i) सुजलाम भारत रजिस्ट्री के आधार पर योजनाओं के विभिन्न कम्पोनैन्ट्स हेतु डिजिटल प्रीवेन्टिव मैन्टेनेन्स शिड्यूल तैयार करना।

(ii) विभिन्न कम्पोनैन्ट्स के जीवनकाल एवं सिस्टम के परफॉरमैन्स के आधार पर मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक ऐसेट रीप्लेसमैन्ट रणनीति तैयार करना।

(iii) विभिन्न कम्पोनेन्ट्स के फेल्योर, प्लान्ट रीप्लेसमैन्ट तथा उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इन्टैलिजैन्स(ए०आई०) आधारित पूर्वानुमान के आधापर ऑप्टिमम् भण्डार का प्रबन्धन कराना ।

(iv) डिजिटल टिकटिग सिस्टम पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से प्राप्त तकनीकी एवं ऑपरेशन समस्याओ का पारदर्शी व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कराना।

(v) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओ का संचालन एवं अनुरक्षण, स्थान विशेष / क्षमता के दृष्टिगत सीधे ग्राम पंचायत / ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा अथवा तकनीकी एजेन्सी /फर्म को ऐन्गेज करते हुए किया जा सकता है।

(vi) योजनाओ के संचालन एवं अनुरक्षण अनुबन्ध तैयार करना, स्कोप ऑफ वर्क परिभाषित करना, सर्विस लैवल, स्टॉफ की आवश्यकता, स्पेयर्स एव भण्डार की आवश्यकता व सुरक्षात्मक उपायों के सम्बन्ध में जिला एवं ग्राम पचायतो को सुझाव देना।

(vii) पेयजल योजनाओ के संचालन एवं अनुरक्षण में आने वाली समस्याओं के निवारण, प्रीवेन्टिव मैन्टेनैन्स एवं आपालकाल में रिस्पॉन्स के सम्बन्ध में स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुसार स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कना।

(viii) जल जीवन मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन, प्लानिंग, कमिशनिग तथा हैण्डओवर (जलार्पण दिवस के माध्यम से) सुनिश्चित कराना।

(ix) योजनाओ के दीर्घकालिक स्थायित्व एवं नियमित व पर्याप्त मात्रा मे गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति के दृष्टिगत भविष्य की प्लानिग एव वैकल्पिक टैक्नोलॉजी के सम्बन्ध मे सुझाव देना।

Scanned with CamScanner

जिला तकनीकी इकाई (DTU) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, संचालन एवं अनुरक्षण को बेहतर बनाने के लिए उत्तरदायी होगे।

जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा नियमित व अन्तराल पर बैठक कर योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण मे आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से तथा जल सेवा आंकलन फॉर्म से प्राप्त फीडबैक का अध्ययन करते
हुए, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) को उसके निवारण हेतु सुझाव दिए जाएंगे।

जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा योजनाओं हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)से प्राप्त निर्देशो के क्रम मे अन्य कार्य भी किए जाएंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक — उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Akshay Tripathi
Date: 18-05-2026
11:47:26

(अक्षय त्रिपाठी)
जिलाधिकारी,
बहराइच

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

**प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बहराइच।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने प्रतिनिधि को नामित करते हुए सम्बन्धित की सूचना समिति के अध्यक्ष/संयोजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा ।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बहराइच।
7. जिला पंचायतराज अधिकारी, बहराइच।
8. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, बहराइच।
9. सहायक विकास अधिकारी, पंचायतीराज (तकनीकी), बहराइच।
10. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने प्रतिनिधि को नामित करते हुए सम्बन्धित की सूचना समिति के अध्यक्ष/संयोजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बहराइच।

जिलाधिकारी,
बहराइच

Scanned with CamScanner